न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 854–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–1–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 141/अपील/2012–13.

1– श्रीमती मीना पटेल पत्नी सेवाराम पटेल
2– हरिश पटेल पुत्र स्व. श्री सेवाराम पटेल
निवासीगण मिकी मौहल्ला शाजापुर
तहसील व जिला शाजापुर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती शान्ती बाई पत्नी दौलतराम पटेल
2– मुरलीधर पुत्र दौलतराम पटेल
3– राजेन्द्र पटेल पुत्र दौलतराम पटेल
4– मनोज पटेल पुत्र दौलतराम पटेल
निवासीगण वार्ड नं. 4 शंकर मन्दिर के पास
पुरानी इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
5– ओमप्रकाश पटेल पुत्र स्व. श्री दौलतराम पटेल
निवासी ई–3 नालवाडी नागपुर रोड
वर्धा (महाराष्ट्र)
6– पवन पटेल पुत्र स्व. श्री दौलतराम पटेल
निवासी नेहरू नगर कल्पना विहार
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
7– श्रीमती भुवनेश्वरी पुत्री श्री दौलतराम पटेल
पत्नी श्री राम चौधरी
निवासी एफ–226 रेलवे स्कूल के पीछे
सुभाष चौक कल्याण (वेस्ट) .....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 16 जनवरी, 2015)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 10–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी जिला होशंगाबाद के आदेश दिनांक 6–3–2012 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष दिनांक 16–4–12 को प्रस्तुत की गई । अपील प्रस्तुत करने के उपरांत आवेदकगण अपर आयुक्त के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–12–2012, 20–12–2012, 27–12–2012 एवं 3–1–2013 को प्रकरण सुनवाई हेतु सूचना पटल पर प्रदर्शित किया गया, इसके बावजूद भी आवेदकगण अथवा उनके अभिभाषक अपर आयुक्त के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । अतः अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण एवं उनके अभिभाषक द्वारा प्रकरण चलाये जाने में रूचि नहीं रखने के कारण संहिता की धारा 35 (2) के अंतर्गत अपील खारिज की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित अपील में अधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया था, परन्तु अधिवक्ता अपर आयुक्त के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । इस आधार पर कहा गया कि अधिवक्ता की त्रुटि के कारण पक्षकार को दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है। यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण को सूचना पत्र की तामीली नहीं कराई गई है, जबकि अपर आयुक्त को आवेदकगण को भी सूचना देना चाहिए थी । तर्क के समर्थन में 1980 आर.एन. 351 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 35 (2) के अंतर्गत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है, निगरानी का प्रावधान नहीं है । अतः निगरानी इसी कारण निरस्त किए जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । संहिता की धारा 35 (2) के अंतर्गत सूचना उपरांत भी पक्षकार अथवा उनके अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण उनकी अनुपस्थिति में सुना जाकर निर्णीत किया जा सकेगा या अनुपस्थिति में खारिज किया जा सकेगा । संहिता की धारा 35 (2) के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत पुर्नस्थापन आवेदन प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है, और यदि पुर्नस्थापन आवेदन पत्र निरस्त होता है, तब संहिता की धारा 35 (4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है, निगरानी प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान उक्त धारा में नहीं है । अतः यह निगरानी विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किए जाने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है । आवेदकगण अपर आयुक्त के समक्ष पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–1–2013 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर